कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

email :nnkota@gmail.com, websites : www.kotamc.org,

क्रमांक ननिको(उ)/गौशाला अनुभाग/2025-26/1344) 452 दिनांक 30/1/25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा उत्तर सीमा क्षेत्र मे विचरण करने वाले गाय, बैल, भैस, बछड़ा, सॉड़, पाड़ा, पाड़ी आवारा पशुओं को पकड़कर कायन हाऊस किशोरपुरा कोटा में बन्द करने के लिये वार्षिक अनुबन्ध के लिये इच्छुक निविदादाताओं से ई-प्रोक्यूरमेन्ट द्वारा ऑनलाईन ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र.सं.		
1.	कार्य का नाम	नगर निगम कोटा उत्तर सीमा क्षेत्र में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को पकडकर कायन हाऊस किशोरपुरा में बन्द करने का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध)।
2.	अनुमानित राशि	20.00 लाख
3.	धरोहर राशि	अनुमानित राशि का 2% (40000/-रूपये) **www.kotamc.org site** पर जाकर **Online** जमा करावे।
4.	ऑन लाईन निविदा प्रपत्र मिलने एवं ऑन लाईन निविदा जमा कराने की दिनांक	30.01.2025 से 14.02.2025
5.	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	17.02.2025
6.	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड के परिक्षण के उपरान्त
7.	अपेक्षित दस्तावेज/राशि जमा कराने की तिथि	14.02.2025 को दोपहर 3.00 बजे तक
8.	निविदा शुल्क	2000/-रूपये **www.kotamc.org site** पर जाकर **Online** जमा करावे।
9.	प्रोसेसिंग शुल्क	500/-रूपये **www.kotamc.org site** पर जाकर **Online** जमा करावे।

नोट :-

ई-निविदा से संबंधित निविदा प्रपत्र एवं शर्ते नगर निगम कोटा उत्तर की वेबसाइट **www.kotamc.org** व **http://sppp.rajasthan.gov.in** तथा **http://eproc.rajasthan.gov.in** से देखकर एवं डाउनलोड कर सकते है।

आयुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर
दिनांक: 30/1/25

क्रमांक - ननिको(उ)/गौशाला अनुभाग/2025-26/1344)-452

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान महापौर महोदया, नगर निगम, कोटा उत्तर।
2. श्रीमान उपमहापौर महोदय, नगर निगम, कोटा उत्तर।
3. श्रीमान नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम कोटा उत्तर।
4. अति0 आयुक्त, नगर निगम कोटा उत्तर।
5. उपायुक्त, नगर निगम कोटा उत्तर।
6. मुख्य लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, कोटा उत्तर।
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य)/प्रभारी गौशाला, नगर निगम, कोटा उत्तर।
8. पुस्तकालयाध्यक्ष, नगर निगम, कोटा उतर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।
9. ओसवाल डाटा को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा विज्ञप्ति को निगम की वेबसाइट पर डालें।
10. प्रभारी हेल्पलाईन, को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने हेतु व्यवस्था करावें।
11. सम्बन्धित लिपिक...कोटा।
12. नोटिस बोर्ड चस्पा/गार्ड फाईल।

आयुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र से आवारा पशुओं को पकड़कर नगर निगम के कायन हाऊस किशोरपुरा में बन्द करने के लिये ठेका देने की शर्ते

1. यह है कि इस ठेके की अवधि कार्य आदेश से 1 वर्ष के लिये होगी। जिसे कार्य संतोषजनक रहने पर दोनो पक्षो की सहमति से आ.टी.पी.पी. के नियमों के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।
2. सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार द्वारा शहरों मे आवारा पशुओं को पकड़कर नगर निगम कोटा उत्तर के कायन हाऊस किशोपुरा/निगम द्वारा निर्धारित–निर्देशित स्थान पर बन्द करवाने की समस्त जिम्मेदारी सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार की होगी जिसके लिये पशुओ के पकडने हेतु लेबर रस्सी तथा डण्डे इत्यादि संसाधन सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार के होगे तथा इन पशुओं को भिजवाने के लिये वाहन तथा उस पर आने वाला खर्चे भी सफल ऐजेन्सी को वहन करना होगा।
3. सफल एजेन्सी/ठेकेदार की मांग पर निगम द्वारा ट्रेक्टर सहित काऊकेचर उपलब्ध कराई जायेगी। जिसकी राशि रू. 500/– प्रति दिन से सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार द्वारा हेल्पलाईन निगम कोष में जमा करानी होगी। एवं बिल प्रस्तुत करने पर रसीद गौशाला अनुभाग में बिल के साथ संलग्न करनी होगी। संवेदक को स्वयं के खर्चे से ट्रेक्ट्रर, ड्राईवर, डीजल की व्यवस्था कर पशुओं को पकड़कर किशोरपुरा गौशाला तक पहुँचाना होगा। जिसका निगम द्वारा अलग से कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि वाहन में कोई खराबी होगी तो संवेदक/फर्म को ठीक करवाना होगा।
4. सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार को मजदूरी की एवज में प्रति पशु नग के आधार पर बिल प्रस्तुत करने पर मासिक आधार पर अदायगी की जायेगी।
5. पशुओं के साथ पकड़कर बन्द किये गये दूध पीते बछड़े का कोई शुल्क देय नहीं होगा।
6. सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार द्वारा निगम कोटा के कायन हाऊस, किशोरपुरा में भेजे गये पशुओं की रसीद संबंधित इन्चार्ज से सूची प्रमाणित करवाकर गौशाला कार्यालय में जमा करवानी होगी और उसी अनुसार सफल ऐजेन्सी को अदायगी की जायेगी।
7. पशु पकड़ते समय यदि किसी व्यक्ति/नागरिक, वाहन व दुकानदार को कोई नुकसान होता है या कोई पशु घायल होता है या किसी पशु की मृत्यु होती है तो उसकी हर प्रकार की जिम्मेदारी सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार की होगी व उसका क्लेम सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
8. सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार पशु पकड़ते समय पशुओं के प्रति क्रूरता नहीं बरतेगा और ना ही पशुओं को बूचड़खाने या अन्य किसी व्यक्ति को बेचेगा। यदि ऐसा करता पाया गया तो सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार के खिलाफ प्रीवेंशन ऑफ क्ररूएलटी टू एनीमल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।
9. सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार को प्रीवेंशन ऑफ क्ररूएलटी टू एनीमल अधिनियम की पालना दृढ़ता से करनी होगी।
10. उक्त कार्य में रखे गये श्रमिकों को शारीरिक नुकसान एवं क्षति की समस्त जिम्मेदारी सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार की होगी।
11. श्रमिक नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीयन कराने एवं भुगतान के लिए सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार जिम्मेदार होगा। श्रमिक को किसी भी क्षति के लिये नगर निगम कोटा का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार को प्रतिदिन पकड़े गये पशुओं का विवरण निर्धारित परफोर्मा में भर कर गौशाला कार्यालय में देना होगा।
13. सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार को नगर निगम कोटा सीमा क्षेत्र में प्रतिदिन आवारा पशुओं के बारे प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण भी करना होगा।
14. सफल ऐजेन्सी को सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये गये आवारा पशुओं को पकड़ने एवं छोड़ने के नियमों की पालना करनी होगी।
15. किसी भी प्रकार के विवाद के लिये उपायुक्त (गौशाला) महोदय सोल आरबीट्रेटर होगें जिनका फैसला दोनों पक्षों को मान्य होगा।

2

16. नगर निगम का हक होगा कि जब चाहे उक्त ठेके की शर्तो, इकरारनामा में दर्ज किसी भी शर्त में तबदीली या बढ़ोतरी कर सकेगें, जिसकी पालना सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार को करनी होगी और सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार को कोई ऐजराज नहीं होगा।

17. सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार को पुलिस, विधि प्रतिनिधि (लीगल रिप्रेसेंटेटिड), वेटेनरी कम्युनिटि के सदस्य एवं जनसाधारण के साथ आवारा पशुओं को पकडते समय सामंजस्य स्थापित करना होगा।

18. पशु पकड़ने में सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो 15 दिन का नोटिस देकर जनहित में ठेका रद्द करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर का होगा जिसके लिए सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार किसी भी प्रकार की कानूनी अडचन पैदा नहीं कर सकेगा।

19. सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार नगर निगम द्वारा बताये गये स्थानों से आवारा पशु जैसे गाय, बछड़ी, बैल, सांड इत्यादि को पकड़ कर निगम कोटा के कायन हाऊस, किशोरपुरा में निर्धारित स्थल पर छोड़ना होगा।

20. पशुओं को पकड़ने के लिए सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार अनुभवी कर्मचारी रखेगा।

21. सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार को नियम व शर्तो के अनुसार 1000/– रूपये के स्टाम्प पर स्वयं के खर्चे पर निविदा बरतेगा।

22. सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार को समय–समय पर आयुक्त/उपायुक्त/प्रभारी गौशाला के दिये निर्देशो की पालना करनी होगी।

23. पशु पकड़ने से संबंधित किसी भी प्रकार के झगड़े/कोर्ट केस/विवाद आदि की जिम्मेदारी सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार की होगी एवं न्यायिक विवाद क्षेत्र कोटा होगा।

24. यदि आवारा पशु के कारण अथवा पशु पकड़ने के उपकरण/काउकेचर से कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिये पूर्णतः जिम्मेदार सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार की होगी।

25. सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार को टेलिफोन व मोबाईल नम्बर सार्वजनिक रूप से दर्शाना होगा एवं चालू रखना होगा।

26 सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार द्वारा अनुबंध अनुसार कार्य न करने पर ठेका रद्द करने का अधिकार आयुक्त/महापौर महोदय, नगर निगम कोटा उत्तर का होगा।

27. नगर निगम जनहित में समीक्षा कर अन्य कोई शर्तो को बढ़ा व घटा सकता है।

28. रिस्क व कोस्ट नियम लागू होगा।

29. शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त पशु पकडना होगा।

30 सफल ऐजेन्सी/ठेकेदार की तीन बार शिकायत प्राप्त होने पर भी कार्यवाही नहीं करने पर उसके उपरान्त प्रति शिकायत 500/– रूपये एवं उसके गुणक के अनुसार शास्ति देय होगी।

31. दर स्वीकृत आदेश मिलने पर 7 दिवस में निविदा राशि का 3 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करवाना होगा। साथ ही नियमानुसार अनुबन्ध कराना होगा।

32. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. संबंधी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

33. प्रत्येक काऊ केचर के साथ, 15 मजदुर, रस्सा एवं पशु पकडने के अन्य संसाधन संवेदक द्वारा नियमित रूप से रखे जायेगे, काऊ केचर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करेगा।

34. आवश्यकता होने पर रात्रि पारी में भी कार्य करवाया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार मजदुर एवं संसाधन संवेदक द्वारा पृथक से उपलब्ध कराये जायेगें।

35. निर्देशानुसार अधिक पशु पकडने के लिये निर्देशित करने पर संवेदक को अतिरिक्त पशु पकडने होगें जिसके लिये संवेदक अपने स्तर पर अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था करेगा। नगर निगम से अतिरिक्त संसाधन की मांग नहीं करेगा। निर्देशानुसार अतिरिक्त पशु पकडने के लिये संवेदक बाध्यकारी होगा।

आयुक्त

नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

-:: तकनीकी बिड ::-

Photo With Signature

1.	कार्य का नाम	:	नगर निगम, कोटा उत्तर सीमा क्षेत्र मे विचरण करने वाले आवारा पशुओं को पकडकर कायन हाऊस किशोरपुरा में बन्द करने का कार्य (वार्षिक अनुबंध)।
2.	कार्य की अवधि	:	(कार्य आदेश की तिथि से 1 वर्ष के लिये)
3.	अनुमानित राशि	:	20,00,000/-
4.	धरोहर राशि	:	2% (40000 रूपये) www.kotamc.org site पर जाकर Online जमा करावे।
5.	निविदा शुल्क	:	2000/- रूपये www.kotamc.org site पर जाकर Online जमा करावे।
6.	प्रोसेसिंग फीस	:	500/- www.kotamc.org site पर जाकर Online जमा करावे।
7.	निविदा डाउनलोड करने की तिथि	:	30.01.2025 से 14.02.2025
8.	ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि (वेबसाईड से)	:	14.02.2025
9.	निविदा शुल्क/प्रासेसिंग शुल्क/अपेक्षित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	:	14.02.2025 को दोपहर 3.00 बजे तक
10.	निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि	:	17.02.2025
11.	निविदा की वित्तीय बिड खोलने की तिथि	:	तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त।
12.	फर्म/संवेदक का नाम व पूर्ण पता टेलिफोन/मोबाईल नम्बर	:	

क्र. सं.	तकनीकी बिड के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न होना चाहिये (स्वयं के द्वारा सत्यापित होने चाहिए)	संलग्न (हां/नहीं)
1	निविदा शुल्क प्रोसेसिंग फीस भुगतान के प्रमाण/रसीद की प्रति।	
2	स्थाई पता का प्रमाणीकरण हेतु नल/बिजली/टेलीफोन/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/राशन कार्ड/आधार कार्ड (कोई भी दो दस्तावेज) की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है।	
3	निविदा प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ स्वयं हस्ताक्षरित ।	
4	पेन कार्ड की फोटो प्रति।	
5	जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
6	कर निर्धारण वर्ष 2021-22, 2022-2023, 2023-24 (तीन वर्ष) के आयकर रिर्टन की प्रतियां।	
7	संवेदक को संबंधित पुलिस थाने द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जो विगत 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो प्रस्तुत करना होगा।	
8	निविदादाता को नगर निगम कोटा उत्तर के किसी कर्मचारी/अधिकारी/पार्षद/महापौर के परिवार का सदस्य या लाभार्थी हिस्सेदारी नहीं होने का शपथ पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
9	नगर निगम कोटा उत्तर में बकायादार नहीं होने का प्रमाण पत्र।	
10	फर्म को पिछले वर्ष में ब्लेक लिस्टेड/डीबार नहीं होना चाहिए। (शपथ-पत्र)	
11	संवेदक को पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजिकृत होना चाहिए, इसके प्रमाण हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	

नोट :- तकनीकी बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

मेरे द्वारा संलग्न शर्तो/निर्देशों को भली-भाति अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त शर्तो पर कार्य करने से सहमत हूँ एवं समस्त शर्तो का पालन करूगा/करूगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम........................

पिता का नाम........................

पूर्ण पता........................

मो.नं........................

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर(राज0)

ननिकोउ/गौशाला अनुभाग/2025–26/

दिनांक :–

–:: वित्तीय बिड ::–

1. कार्य का नाम : नगर निगम, कोटा उत्तर सीमा क्षेत्र में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को पकडकर कायन हाऊस किशोरपुरा में बन्द करने का कार्य।
2. कार्य की अवधि : कार्य आदेश की तिथि से 1 वर्ष के लिये
3. अनुमानित राशि : 20,00,000/–
4. वित्तीय बिड खोलने की तिथि : तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त
5. फर्म/संवेदक का नाम व पूर्ण पता टेलीफोन/मोबाईल नम्बर : ....
6. संविदादाता द्वारा अंकित दर : संलग्न सूची अनुसार BOQ में प्रस्तावित

क्र.सं.	पशु	पशु पकडकर नगर निगम के कायन हाऊस किशोरपुरा में बन्द करने की आरक्षित दर (प्रति पशु) समस्त कर सहित।	पशु पकडकर नगर निगम के कायन हाऊस किशोरपुरा में बन्द करने की प्रस्तावित दर (प्रति पशु) समस्त कर सहित।
1.	बडे/छोटे पशु	165/– रूपये प्रति पशु बडे/छोटे	शब्दों में .... अक्षरों में................

मेरे द्वारा संलग्न शर्तो/निर्देशों को भली–भाति अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त शर्तो पर कार्य करने से सहमत हूँ एवं समस्त शर्तो का पालन करूगा/करूगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम..........................
पिता का नाम..........................
पूर्ण पता..........................
मो.नं..........................